-285-ALLOTEMENT-III

RR No. 1061
12-6-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः प.3(1)साप्र/2/2012 जयपुर, दिनांक 23 MAY 2012

–: आदेश :–

श्री गिरिराज प्रसाद गुर्जर, सांख्यिकी सहायक, सहकारिता विभाग, कार्यालय उप रजिस्ट्रार प्रशासन, सहकारी समिति, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 51/2012 है तथा सेवानिवृति दिनांक 29.2.2028 है के आधार पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए राजकीय आवास संख्या ई–5, गांधीनगर, जयपुर रिक्त होने की प्रत्याशा में "आउट ऑफ टर्न" निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

OIC (Web)
12-6-2012

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी टीप संख्या मुम–उस(पी)/प–2(साप्रवि)/(जय)/12/41229 दिनांक 16.5.2012 के क्रम में।
2. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, सहकार भवन, जयपुर।
5. उप रजिस्ट्रार प्रशासन, सहकारी समिति, राजस्थान, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर जयपुर।
8. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
9. श्री गिरिराज प्रसाद गुर्जर, सांख्यिकी सहायक, सहकारिता विभाग, कार्यालय उप रजिस्ट्रार प्रशासन, सहकारी समिति, जयपुर।
10. श्री मानसिंह गुर्जर, आर.ए.एस., निवासी ई–5, गांधीनगर, जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम्प, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्तें संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
13. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
14. निजी सचिव, मुख्य सचिव को उनकी डायरी संख्या 4465/सीएस/1/12 दिनांक 22.5.2012 के क्रम में।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव